न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–05/2023
प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक–16.06.2023
निर्णय दिनांक–09.12.2025

कालू पुत्र भूरा जाति यादव निवासी ग्राम मियारामपुरा, तह0 पीपलू जिला टोंक (मृतक)

1. नारायण पुत्र कालू जाति यादव निवासी ग्राम मियारामपुरा, हाल निवासी जंवाली, तह0 पीपलू जिला टोंक
2. मोहनी देवी पुत्री कालू जाति यादव निवासी ग्राम मियारामपुरा, हाल निवासी जंवाली, तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. गीता देवी पुत्री कालू जाति यादव निवासी ग्राम मियारामपुरा, हाल निवासी जंवाली, तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. पुष्पा बेवा मूलचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम मियारामपुरा, तह0 पीपलू जिला टोंक (मृत्तक)
2. भंवरलाल पुत्र मूलचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम मियारामपुरा, तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. रतनी पत्नि मूलचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम मियारामपुरा, तह0 पीपलू जिला टोंक (मृत्तक)
4. सुखदेवा पुत्र हरजी जाति अहीर निवासी ग्राम मियारामपुरा, तह0 पीपलू जिला टोंक (मृत्तक)
5. मोहन विधवा कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी ग्राम मियारामपुरा, तह0 पीपलू जिला टोंक (मृत्तक)
6. काली पुत्री कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी ग्राम मियारामपुरा, तह0 पीपलू जिला टोंक (मृत्तक)
7. आशा पुत्री कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी ग्राम मियारामपुरा, तह0 पीपलू जिला टोंक (मृत्तक)
8. शंकर पुत्र कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी ग्राम मियारामपुरा, तह0 पीपलू जिला टोंक (मृत्तक)
9. तहसीलदार पीपलू

अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगण–श्री कैलाश चौधरी एड0
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02, 03– श्री राजाराम चौधरी एड0, श्री नरेन्द्र प्रसाद गुर्जर एड0
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 04 लगायत 08–श्री विवेक चौधरी एड0, श्री छीतरलाल प्रजापत एड0

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र बाजदायरी

अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

विरूद्ध आदेश दिनांक 17.12.2020 बउनवानी कालू बनाम पुष्पा वगै0

प्रकरण संख्या 15/2019 वाद बाबत् घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/वादीगण के पिता व पति कालू पुत्र भूरा द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज, स्थायी निषेधाज्ञा एवं घोषणा खातेदारी का बउनवानी कालू बनाम पुष्पा पेश किया गया था। जिसके प्रकरण संख्या 14/2019 थे। उक्त भूमि के संबंध में पत्रावली राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में माननीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध पेश हुई थी। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश की पालना में उक्त प्रकरण की पत्रावली दिनांक 18.03.2019 को माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्राप्त हुई है। जिसकी कभी कोई जानकारी प्रार्थीगण/वादीगण को नही हुई, जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पक्षकारान् को उपस्थित होने के लिए दिनांक 20.07.2018 की तारीख पेश नियत की गई थी, किन्तु उक्त दिनांक को न्यायालय के समक्ष पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त नही हुई थी। इस कारण प्रार्थीगण वादीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पत्रावली दर्ज होने की व उसके नियत तारीख पेशीयो की कोई जानकारी प्रार्थीगण/वादीगण को नही हो सकी। इस कारण प्रार्थीगण/वादीगण नियत तारीख पेशी दिनांक 17.12.2020 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो सके और न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण/वादीगण को माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नही थी। प्रार्थीगण ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर, माननीय न्यायालय, तहसीलदार पीपलू एवं सहायक कलेक्टर, टोंक के समक्ष आवेदन पेश कर पत्रावली के संबंध में जानकारी चाही। तब प्रार्थीगण की जानकारी में आया कि प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्राप्त हो चुकी है और प्रकरण को न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17.12.2020 को ही अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। जिस पर प्रार्थीगण ने आदेश की जानकारी कर दिनांक 19.04.2023 को नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया। नकल दिनांक 20.04.2023 को प्राप्त होने पर प्रार्थीगण आज जानकारी से अन्दर मियाद बिना किसी देरी के उक्त प्रार्थना पत्र पेश

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

करने में प्रार्थीगण ने कोई चूक नही की है, जो चूक हुई है, वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। देरी को क्षमा करने हेतु प्रार्थीगण पृथक से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर रहे है। प्रार्थीगण के पिता व पति कालू की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण कालू के विधिक वारिसान है, जो पूर्व से ही प्रकरण में वादी पक्षकार के रूप में राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपनी उपस्थिती दे चुके थे। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 01 पुष्पा की मृत्यु हो चुकी है। उसके विधिक वारिसान पूर्व से ही प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02, 03 के रूप में पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण/वादीगण के वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रकरण में वादीगण/प्रार्थीगण को सुनवायी के आदेश प्रदान करे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण/वादीगण को माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नही थी। प्रार्थीगण ने सूचना के अधिकार अधिकार अधिनियम के तहत् राजस्व मण्डल अजमेर, माननीय न्यायालय, तहसीलदार पीपलू एवं सहायक कलेक्टर टोंक के समक्ष आवेदन पेश कर पत्रावली के संबंध में जानकारी चाही। तब प्रार्थीगण की जानकारी में आया कि प्रकरण की पत्रावली माननीय न्यायालय के समक्ष प्राप्त हो चुकी है और प्रकरण को न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.12.2020 को ही अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, जिस पर प्रार्थीगण ने आदेश की जानकारी कर दिनांक 19.04.2023 को नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया। नकल दिनांक 20.04.2023 को प्राप्त होने पर प्रार्थीगण आज जानकारी से अन्दर मियाद बिना किसी देरी के उक्त प्रार्थना पत्र आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे है। प्रार्थना पत्र पेश करने में प्रार्थीगण ने कोई चूक नही की है, जो चूक हुई है। वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद माना जाकर प्रकरण में प्रार्थी को सुनवायी का अवसर प्रदान करने की कृपा फरमावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी संख्या 02, 03 की ओर से अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी एड0, श्री नरेन्द्र प्रसाद गुर्जर एड0 व अप्रार्थी संख्या 04 लगायत 08 की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक चौधरी एड0 व श्री छीतरलाल प्रजापत एड0 ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या 02, 03 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि दिनांक 17.12.2020 को ही वाद संख्या 15/2019 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था, उस दिन वादीगण या अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नही हुए थे। इस कारण न्यायालय हाजा द्वारा दावा खारिज किया गया था। वादीगण स्वयं जानबूझकर लापरवाह रहे है, क्योकि पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर से दिनांक 18.03.2019 को ही इस न्यायालय में प्राप्त हो चुकी थी, जो कि दावे के आदेशिका से स्पष्ट है, प्रकरण दिनांक 19.05.2019 को पक्षकारान् की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हो गये थे। उसके बाद काफी समय तक पत्रावली विचाराधीन रही, परन्तु वादी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

व अधिवक्ता जानबुझकर अनुपस्थित रहे है। राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय की जानकारी वादी व उसके अधिवक्ता को रही है। वादी व उसके अधिवक्ता को इस न्यायालय में पत्रावली प्राप्त होने की जानकारी नही होने का कथन गलत है। स्वीकार नही है। वादी को राजस्व मण्डल की पत्रावली के संबंध में पूर्ण जानकारी थी, जो दिनांक 17.12.2020 से काफी दिन पहले ही पत्रावली न्यायालय में आ चुकी है। उक्त प्रकरण की खारिज होने की जानकारी वादी व उसके अधिवक्ता को शुरू से रही है। इनकी ओर से जो अवलम्ब जानकारी का लिया गया है। वह किसी प्रकार सद्भावी या विश्वसनीय नही है। वादी व उसका अधिवक्ता अपने प्रकरण के प्रति स्वयं जागरूक नही है। प्रार्थना पत्र में जानकारी न होने तथा जिस प्रकार जानकारी होने का कथन लिखा गया है। वह गलत है, स्वीकार नही है। वादी ने प्रार्थना पत्र में विलम्ब का जो कारण लिखा है। असत्य है तथा पर्याप्त व संतोषप्रद कारण नही है, क्योकि इनकी जानकारी शुरू से रही है। प्रार्थीगण के पिता कालू की मृत्यु कब हुई तथा पुष्पा की मृत्यु की दिनांक भी नही लिखी गई है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार करने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है, जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित इबारत असत्य तथा मनघड़न्त है, राजस्व मण्डल के निर्णय तथा वहां से पत्रावली वापस इस न्यायालय में आने की जानकारी वादी व उसके अधिवक्ता को रही है, परन्तु जानबुझकर न्यायालय में उपस्थित नही हुए है, जबकि राजस्व मण्डल द्वारा ही निर्देश दिये गये थे। प्रकरण दिनांक 17.12.2020 को ही खारिज हो चुका था। जिसके बाद दिनांक 11.05.2023 को अर्थात असाधारण विलम्ब के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें किसी प्रकार पर्याप्त, विश्वसनीय तथा संतोषप्रद कारण अंकित नही है तथा जिन तथ्यो का अवलम्ब प्रार्थना पत्र में लिया गया है। उनके अनुसार विलम्ब माफ करने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज करने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या 04 लगायत 08 ने अपने जवाब में बताया कि राजस्व मण्डल अजमेर से पत्रावली प्राप्त होने के बाद तथा प्रकरण को पुनः दर्ज कर पक्षकारान् को सुनवायी के नोटिस माननीय न्यायालय द्वारा जारी किये गये थे। उसी के अनुक्रम में दिनांक 09.05.2019 को उपस्थिती दी गयी थी, किन्तु प्रार्थीगण/वादीगण ने जानबूझकर प्रकरण में अपनी उपस्थिती नही दी, जबकि उन्हे प्रकरण के लौटने तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज कर लिये जाने क पूर्ण जानकारी थी। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक नियमो की पालना कर वाद को खारिज फरमाया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी कारित नही हुई है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य बनावटी व मिथ्या होने से अप्रार्थीगण स्वीकार नही करते है। प्रार्थीगण/वादीगण को प्रकरण की व उसमे पारित आदेश की पूर्व जानकारी थी, किन्तु प्रार्थीगंण/वादीगण ने निर्धारित समयावधि में प्रकरण को पुनः दर्ज कर सुनवायी किये जाने बाबत् कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया और लम्बे समय के पश्चात झूठे व मिथ्या कथनो को आधार बताते हुए मियाद बाहर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण/वादीगण स्वच्छ

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

हाथो से माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष नही आया है। इस कारण वह विलम्ब माफी के हकदार नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन विधिहीन तथा मियाद बाहर पेश किये जाने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष ने बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की प्रार्थीगण/वादीगण के पिता व पति कालू पुत्र भूरा द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज, स्थायी निषेधाज्ञा एवं घोषणा खातेदारी का बउनवानी कालू बनाम पुष्पा पेश किया गया था। जिसके प्रकरण संख्या 14/2019 थे, उक्त भूमि के संबंध में पत्रावली राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में माननीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध पेश हुई थी। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश की पालना में उक्त प्रकरण की पत्रावली दिनांक 18.03.2019 को माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्राप्त हुई है। जिसकी कभी कोई जानकारी प्रार्थीगण/वादीगण को नही हुई, जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पक्षकारान् को उपस्थित होने के लिए दिनांक 20.07.2018 की तारीख पेश नियत की गई थी। उक्त दिनांक को न्यायालय के समक्ष पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त नही हुई थी। इस कारण प्रार्थीगण वादीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पत्रावली दर्ज होने की व उसके नियत तारीख पेशीयो की कोई जानकारी प्रार्थीगण/वादीगण को नही हो सकी। इस कारण प्रार्थीगण/वादीगण नियत तारीख पेशी दिनांक 17.12.2020 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो सके और न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण को पत्रावली की कोई जानकारी नही हुई, इस कारण प्रार्थीगण ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर, माननीय न्यायालय, तहसीलदार पीपलू एवं सहायक कलेक्टर, टोंक के समक्ष आवेदन पेश कर पत्रावली के संबंध में जानकारी चाही। तब प्रार्थीगण की जानकारी में आया कि प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्राप्त हो चुकी है और प्रकरण को न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17.12.2020 को ही अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। जिंस पर प्रार्थीगण ने आदेश की जानकारी कर दिनांक 19.04.2023 को नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया। नकल दिनांक 20.04.2023 को प्राप्त होने पर प्रार्थीगण आज जानकारी से अन्दर मियाद बिना किसी देरी के उक्त प्रार्थना पत्र आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। प्रार्थीगण के पिता व पति कालू की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण कालू के विधिक वारिसान है, जो पूर्व से ही प्रकरण में वादी पक्षकार के रूप में राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपनी उपस्थिती दे चुके थे। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 01 पुष्पा की मृत्यु हो चुकी है। उसके विधिक वारिसान पूर्व से ही प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02, 03 के रूप में पक्षकार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण/वादीगण के वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रकरण में वादीगण/प्रार्थीगण को सुनवायी के आदेश प्रदान करे। साथ ही प्रार्थना धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर बहस कर कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पक्षकारान् को उपस्थित होने के लिए दिनांक 20.07.2018 की तारीख पेश नियत की गई थी। उक्त दिनांक को न्यायालय के समक्ष पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त नही

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

हुई थी। इस कारण प्रार्थीगण वादीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पत्रावली दर्ज होने की व उसके नियत तारीख पेशीयो की कोई जानकारी प्रार्थीगण/वादीगण को नही हो सकी। इस कारण प्रार्थीगण/वादीगण नियत तारीख पेशी दिनांक 17.12.2020 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो सके और न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण को पत्रावली की कोई जानकारी नही हुई, इस कारण प्रार्थीगण ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर, माननीय न्यायालय, तहसीलदार पीपलू एवं सहायक कलेक्टर, टोंक के समक्ष आवेदन पेश कर पत्रावली के संबंध में जानकारी चाही। तब प्रार्थीगण की जानकारी में आया कि प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्राप्त हो चुकी है और प्रकरण को न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17.12.2020 को ही अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। जिस पर प्रार्थीगण ने आदेश की जानकारी कर दिनांक 19.04.2023 को नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया। नकल दिनांक 20.04.2023 को प्राप्त होने पर प्रार्थीगण आज जानकारी से अन्दर मियाद विना किसी देरी के उक्त प्रार्थना पत्र आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। प्रार्थना पत्र पेश करने में प्रार्थीगण ने कोई चूक नही की है, जो चूक हुई है। वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद माना जाकर प्रकरण में प्रार्थी को सुनवायी का अवसर प्रदान करने की कृपा फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02, 03 ने अपनी बहस में बताया कि दिनांक 17.12.2020 को ही वाद संख्या 15/2019 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था, उस दिन वादीगण अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नही हुए थे। इस कारण न्यायालय हाजा द्वारा दावा खारिज किया गया था। वादीगण स्वयं जानबूझकर लापरवाह रहे है, क्योकि पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर से दिनांक 18.03.2019 को ही इस न्यायालय में प्राप्त हो चुकी थी, जो कि दावे के आदेशिका से स्पष्ट है, प्रकरण दिनांक 19.05.2019 को पक्षकारान् की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हो गये थे। उसके बाद काफी समय तक पत्रावली विचाराधीन रही, परन्तु वादी व अधिवक्ता जानबुझकर अनुपस्थित रहे है। राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय की जानकारी वादी व उसके अधिवक्ता को रही है। वादी व उसके अधिवक्ता को इस न्यायालय में पत्रावली प्राप्त होने की जानकारी नही होने का कथन गलत है। उक्त प्रकरण की खारिज होने की जानकारी वादी व उसके अधिवक्ता को शुरू से रही है। इनकी ओर से जो अवलम्ब जानकारी का लिया गया है। वह किसी प्रकार सद्भावी या विश्वसनीय नही है। वादी व उसका अधिवक्ता अपने प्रकरण के प्रति स्वयं जागरूक नही है। वादी ने प्रार्थना पत्र में विलम्ब का जो कारण लिखा है। असत्य है तथा पर्याप्त व संतोषप्रद कारण नही है। प्रार्थीगण के पिता कालू की मृत्यु कब हुई तथा पुष्पा की मृत्यु की दिनांक भी नही लिखी गई है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार करने योग्य नही है। साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित इबारत असत्य तथा मनघड़न्त है, राजस्व मण्डल के निर्णय तथा वहां से पत्रावली वापस इस न्यायालय में आने की जानकारी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

वादी व उसके अधिवक्ता को रही है, परन्तु जानबुझकर न्यायालय में उपस्थित नही हुए है, जबकि राजस्व मण्डल द्वारा ही निर्देश दिये गये थे। असाधारण विलम्ब के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें किसी प्रकार पर्याप्त, विश्वसनीय तथा संतोषप्रद कारण अंकित नही है तथा जिन तथ्यो का अवलम्ब प्रार्थना पत्र में लिया गया है। उनके अनुसार विलम्ब माफ करने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज करने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 04 लगायत 08 ने अपनी बहस में बताया कि राजस्व मण्डल अजमेर से पत्रावली प्राप्त होने के बाद तथा प्रकरण को पुनः दर्ज कर पक्षकारान् को सुनवायी के नोटिस माननीय न्यायालय द्वारा जारी किये गये थे, उसी के अनुक्रम में दिनांक 09.05.2019 को उपस्थिती दी गयी थी, किन्तु प्रार्थीगण/वादीगण ने जानबूझकर प्रकरण में अपनी उपस्थिती नही दी, जबकि उन्हे प्रकरण के लौटने तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज कर लिये जाने की पूर्ण जानकारी थी। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक नियमो की पालना कर वादी को खारिज फरमाया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी कारित नही हुई है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य बनावटी व मिथ्या है। प्रार्थीगण/वादीगण ने निर्धारित समयावधि में प्रकरण को पुनः दर्ज कर सुनवायी किये जाने बाबत् कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया और प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया है, जो कण्डोन किये जाने योग्य नही है। प्रार्थीगण/वीदगण विलम्ब माफी के हकदार नही है, क्योकि उन्हे प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी। वैसे प्रार्थीगण वाद में पक्षकार नही होने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं को कालू के वारिसान् बताये गये है, एवं कालू को फोत होना बताया गया है। प्रार्थीगण को पत्रावली में ऑर्डर 22 रूल 3 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रकरण प्रस्तुत करना चाहिए था, जो प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थना पत्र सारहीन, विधिहीन तथा मियाद बाहर पेश किये जाने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, चुंकि वाद उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज से संबंधित है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बाजदायरी का प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने तथा बहस में वाद के वादी के फौत होने पर भी उक्त प्रार्थना पत्र के साथ ऑर्डर 22 रूल 3 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने के कारण प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी टी.ए./735/2002/टोंक में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावे के वादी कालू की फौत होने पर तत्समय ही वारिसान् का कायम मुकाम हो चुका था। अतः ऑर्डर 22 रूल 3 के तहत् प्रार्थना पत्र अपेक्षित नही है, साथ ही माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निगरानी टी.ए./735/2002/टोंक में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2018 द्वारा पक्षकारो को अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.07.2018 को उपस्थित होने बाबत् निर्देशित किया गया था, किन्तु दिनांक 20.07.2018 को न्यायालय हाजा में पत्रावली प्राप्त नही हुई थी। वाद में पत्रावली प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा पक्षकारो को सूचित किया जाना अपेक्षित था। पक्षकारो को सूचित किये जाने के संबंध में पत्रावली में कोई साक्ष्य उपलब्ध नही

उप खण्ड अधिकारी
बीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

है। वादी/प्रार्थीगण की अनुपस्थिती में दिनांक 17.12.2020 को वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। यद्यपि प्रार्थीगण ने बाजदायरी प्रार्थना पत्र विलम्ब से कारित किया है। इस संबंध में प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण/वादीगण को पत्रावली की जानकारी नही थी। जिसके संबंध में प्रार्थी ने एक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत् एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है एवं प्रार्थीगण को दिनांक 20.04.2023 को नकल प्राप्त होने के पश्चात अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र बाजदायरी प्रस्तुत की गई है। इस कारण विलम्ब कण्डोन किये जाने योग्य है। प्रकरण में उभयपक्ष को पर्याप्त सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर वाद का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रकरण में उभयपक्ष के पास समान रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अभी पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश किये जाने का पर्याप्त व युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही वाद का अन्तिम निस्तारण किया जाना विधिसंगत है। अतः न्यायहित की भावना से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी. पी.सी. 2,000 रूपये की कोस्ट राशि पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण कोस्ट राशि अदा करे। मूल वाद पुनः नम्बर पर लिया जावे। निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(गुणराज बड़गोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with OKEN Scanner